न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा - UP01998

UPLK010077052026

1- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3768/2026

सत्यम, उम्र लगभग 27 वर्ष, पुत्र सुनील कुमार सोनी, निवासी ग्राम ओमनगर, थाना औरेया, जनपद औरेया। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

UPLK010078462026

2- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3832/2026

प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, आयु लगभग 23 वर्ष, पुत्र राज कुमार, निवासी सुजावलपुर खेड़ा, हाथरस, सुजावलपुर, उत्तर प्रदेश पिन 204211. **.....आवेदक/अभियुक्त**

UPLK010078892026

3- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3866/2026

सतेन्द्र सिंह उर्फ अजय, उम्र 24 वर्ष, पुत्र शिव शरण सिंह, निवासी ब्रम्हनगर, थाना औरेया, जनपद औरेया। **.....आवेदक/अभियुक्त**

UPLK010080702026

4- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3966/2026

राम सुमिरन, आयु लगभग 26 वर्ष, पुत्र रामदास, निवासी ग्राम बेहटा रसूलपुर, थाना मझिला, जनपद हरदोई, उ०प्र० 241124. **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोगी।**

अपराध संख्या- 63/2026
धारा- 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
व धारा- 66 डी आई.टी.ऐक्ट,
थाना- सैरपुर, जनपद- लखनऊ।

20.06.2026.

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **सत्यम, प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, सतेन्द्र सिंह उर्फ अजय एवं राम सुमिरन** की ओर से उपरोक्त संदर्भित मुकदमा अपराध व धाराओं में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः संख्या-3768/2026, 3832/2026, 3866/2026 एवं 3966/2026, अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत किये गये हैं, जो क्रमशः सोनू सोनी,

राज कुमार, आशा गुप्ता एवं श्रीमती साधना देवी के शपथ पत्रों से समर्थित हैं।

उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मुकदमा अपराध/घटना से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त चारों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सरोज कुमार द्वारा दिनांक 05.05.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका मोबाईल फोन रेडमी-12 चोरी करके उसके एस.बी.आई. बैंक खाते से 1,36,000/- रुपये एवं पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 54000/- रुपये का साइबर फ्रॉड किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.06.2026 को समय 02:35 बजे, थाना सैरपुर, जनपद लखनऊ में धारा-303(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-66 डी आई.टी.ऐक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

दौरान विवेचना दिनांक 07.06.2026 को आवेदकगण/अभियुक्तगण को पकड़ा गया और बरामदगी के आधार पर धारा-317(2) भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि की गयी।

3. जमानत प्रार्थना पत्रों में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से मुख्यतः ये कथन किये गये हैं कि आवेदकगण को मामले में झूठा फंसाया गया है, फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने हेतु आवेदकगण को मामले में फंसा दिया गया है, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं, अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

5. सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा का मोबाईल चोरी कर उससे साइबर फ्रॉड करके वादी के खाते पैसे निकालने व चोरी के मोबाइल की बरामदगी होने का आक्षेप है। दौरान विवेचना की गयी फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी दिनांकित 08.06.2026 के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। फर्द में उनके पास से आठ अदद मोबाइल फोन, सात अदद सिम, एक अदद चार्जर, दो अदद एटीएम कार्ड की बरामदगी दर्शायी गयी है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण को पुलिस अभिरक्षा में दिये गये संस्वीकृत बयान के आधार पर नामित किया गया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण में आवेदकगण पर आक्षेपित अपराध सात वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है, अभियोजन की ओर से उनका अन्य किसी प्रकरण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में प्रकरण के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सत्यम, प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, सतेन्द्र सिंह उर्फ अजय एवं राम सुमिरन** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः संख्या- 3768/2026, 3832/2026, 3866/2026 एवं 3966/2026 **स्वीकार** किये जाते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण में **प्रत्येक द्वारा** मु० 60,000/- (साठ हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित विचारण न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर धारा-480(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अधिरोपित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाये।

इस जमानत आदेश की एक-एक प्रति प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 3832/2026, 3866/2026 एवं 3966/2026 की पत्रावलियों में रखी जायें।

दिनांक-20.06.2026.

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।
(UP01998)

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.07.01 12:13:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court